## नागरिक शिकायत सूचना पतर

Little Egg Harbor Police Department के सदस्य न्यायोचित, पर्भावी और निष्पक्ष ढंग से कानून लागू कराने रूपी सेवा देने केलिए पर्तिबद्ध हैं। यह सभी केसर्वोत्तम हित में है कि किसी विशेष अधिकारी केपर्दशनर् केबारे में आपकी शिकायत को न्यायोचित ढंग से और शीघर्ता से हल किया जाए। आपकी शिकायत की जाँच केलिए पुलिस विभाग केपास औपचारिक पर्किर्याएँ हैं। इन पर्किर्याओं का डिजाइन नागरिकों और कानून लागू कराने वाले अधिकारियों, दोनों केअधिकारों की रक्षा करने और निष्पक्षता स्विनेश्चत करने केलिए किया गया है:

- 1. गुमनाम सर्ोतों सहित किसी भी वियक्त से अधिकारी / कमचार्री केबारे में कदाचार की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी समय स्वीकार की जानी चाहिए।
- 2. शिकायतकर्ता की आयु, नस्ल, नस्ल, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, विकलांगता या आवर्जन स्थिति की परवाह किए बिना शिकायत स्वीकार किया जाएगा।
- 3. आपकी शिकायत को किसी उच्चाधिकारी या आंतरिक मामलों केलिए विशेष रूप से पर्शिक्षित अधिकारी केपास भेजा जाएगा जो मामले की विस्तृत और उददेश यपूर्ण जाँच करेंगे।
- 4. आपको घटना केबारे में विस्तृत विवरण दे कर जाँच में मदद करने केलिए कहा जा सकता है कि क्या हुआ था या / और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध कराने केलिए कहा जा सकता है।
- 5. कानून लागू कराने वाले अधिकारियों केविस्द्ध सभी शिकायतों की विस्तृत जाँच की जाती है। यदि अनुरोध किया जाता है, तो आपको जाँच की स्थिति और उसकेअंतिम परिणाम से अवगत कराया जाएगा, और आप संपर्क जानकारी पर्दान करते हैं। अधिरोपित सटीक सजा गोपनीय है, लेकिन जाँच केअंतिम परिणाम केबारे में आपको सूचित किया जाएगा, अथातर्:
  - शिकायत की वैधता मान ली गई: सबूतों को देखने से पता चलता है कि अधिकारी ने किसी कानून; विनियमन; महान्यायवादी
    (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्किर्या; एजेंसी पर्ोटोकॉल;
    परिचालन पर्किर्या; सिद्धांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन किया है।
  - b. शिकायत निराधार पाया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित कदाचार नहीं हुआ था।
  - दोषमुक्त कर दिया गया: सबूतों को देखने से पता चलता है कि कथित आचरण हुआ था, लेकिन किसी भी कानून; विनियमन;
     महान् यायवादी (अटॉर्नी जनरल) या काउंटी अभियोजक द्वारा जारी किए गए आदेश, दिशानिर्देश, नीति या पर्किर्या; एजेंसी पर्ोटोकॉल; परिचालन पर्किर्या; सिंदधांत; या पर्शिक्षण का उल्लंघन नहीं किया गया था।
  - d. शिकायत अवैध है: आरोप को रूपष्ट रूप से साबित करने या खारिज करने में जाँच पयाप्तर् सबूतों का खुलासा करने में विफल रहा।
- 6. यदि हमारी जाँच यह दशातीर् है कि अपराध किया गया हो सकता है, तो काउंटी अभियोजक को सूचित किया जाएगा। आपको अदालत में गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।
- 7. यदि हमारी जाँच केपरिणामस्वस्प किसी अधिकारी पर विभाग केनियमों केउल लंघन का आरोप लगाया जाता है, तो विभागीय सुनवाई में आपको गवाही देने केलिए कहा जा सकता है।
- यदि हमारी जाँच दर्शा ती है कि शिकायत निराधार है या अधिकारी ने ठीक से काम किया है तो मामला बंद कर दिया जाएगा।
- 9. आंतरिक मामलों की जाँच गोपनीय है और सभी अनुशासनात मक सुनवाई जनता केलिए बंद रहेगी, जब तक कि पर्तिवादी अधिकारी खुली सुनवाई का अनुरोध नहीं करता है।
- 10. आप मामले केबारे में किसी भी अतिरिक्त जानकारी या किसी भी पर्श् न केसाथ INTERNAL AFFAIRS COMMANDER को 609-296-3666 पर कॉल कर सकते हैं।

| विभाग / एजेंसी   | IA केस नंबर   |
|--|---------------|
| आंतरिक मामलों को रिपोर्ट करने के लिए फार्म   |               |
| <b>रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति</b> (वैकल्पिक, लेकिन सहायक)   |               |
|  | पसंदीदा?      |
| पूरा नाम   |               |
| पता (अपार्टमेंट #)   | ई-मेल □       |
| शहर, राज्य, जिप  | जन्म की तारीख |
| <b>आरोप के अधीन अधिकारी</b> (जो भी जानकारी है, उसे दें)  |               |
| अधिकारी(ओं) का नाम   | बैज नंबर      |
| घटना स्थल  | तारीख / समय   |
| नीचे दिए गए स्थान में घटना का प्रकार (यातायात रोकना, सड़क मुठभेड़) और कथित आचरण के बारे में किसी भी जानकारी का वर्णन करें।<br>आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग कर सकते हैं, और उसे इस दस्तावेज में संलग्न करें। यदि आप अधिकारी का<br>नाम या बैज नंबर नहीं जानते हैं, तो पहचान करने के लिए कोई अन्य जानकारी प्रदान करें। |               |
| अन्य जानकारी   |               |
| इसकी रपट कैसे की गई थी? □ व्यक्तिगत रुप से □ फोन के माध्यम से □ पत्र के द्वारा □ ई-मेल से □ अन्य   |               |
| क्या घटना की रपट पहले की गई थी? 🗆 हाँ 🗆 नहीं यदि हाँ, तो वर्णन करें:   |               |

## रपट प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा पूरा किया जाएगा

शिकायत की समीक्षा करने वाले पर्यवेक्षक बैज नंबर तारीख / समय